जिला वेबसाइट

अनुसूची 14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3
05.03.2013	न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अरवल । सीमांकन अपील वाद सं0—42 / ए0सी0 / 2011 बीबी सकिना खातुन बनाम सरकार एवं कैसर अली **आदेश** भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अरवल के न्यायालय में संचालित सीमांकन वाद सं0—12 / 2006 कैसर अली बनाम अहमद अली वो सकिना खातुन से संबंधित मामला में दिनांक—17.05.2008 को पारित आदेश से छुब्ध होकर सीमांकन अपील कर्त्ता बीबी सकिना खातुन पति—मो0 सलाउद्दीन, साकिन—अरवल सिपाह, थाना+जिला—अरवल के द्वारा सीमांकन अपील पत्र विद्वान समाहर्त्ता, अरवल के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो दिनांक—28.07.2011 को न्यायालय पत्र संख्या—24 / विधि द्वारा विचारण हेतु इस न्यायालय में अंतरित हुआ। प्रासांगिक सीमांकन अपील वाद के उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख स्थित कागजातों का अवलोकन किया। प्रस्तुत सीमांकन अपील वाद के अपीलकर्त्ता एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओं ने बताया कि ग्राम—मखदुमपुर कबीर थाना—अरवल जिला—अरवल स्थित प्रश्नगत भूमि का खतियानी रैयत मुदी मियॉ है और उनके अत्तराधिकारियों ने मुस्लिम लॉ द्वारा स्थापित हक एवं हिस्सा के लिए प्रश्नगत भूमि पर सीमांकन वाद लाया गया, जो निम्न न्यायालय द्वारा प्रस्तुत सीमांकन अपील आवेदक के प्रविष्टि पर सुनकर एडमिड करते हुए मापी हेतु सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त को प्रतिनियुक्त करने का दिनांक—17.05.2008 को आदेश पारित किया गया है। यह जमीन हक एवं हिस्सा के लिए विवादीत है। जिसका निराकरण बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम—2009 के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जा सकता है। अतः उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क से सहमत होते हुए वर्त्तमान सीमांकन अपील वाद की कार्रवाही बिना गुण—दोष पर विचार करते हुए समाप्त किया जाता है और विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अरवल को निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम के तहत प्रश्नगत विवादित भूमि का निराकरण तीन माह के अन्दर सुनिश्चित करेगें। इस आदेश के साथ निम्न न्यायालय वाद अभिलेख विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अरवल को लौटा दें। लेखापीत एवं संसोधित 05/03/13 अपर समाहर्त्ता, अरवल। 5/3/13 अपर समाहर्ता अरवल।	

F/FEB 2013/ SIMANKAN /sk (d-14)-order-letter-2